दिल्ली, एन.सी.आर. व सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय मासिक नववर्ष 2019 मंगलमय हो

उद्योग विहार

निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

Regd. No.-UPHIN/2014/15489 www.udyogviharnp.com प्रधान सम्पादक : सत्येन्द्र सिंह

शख्सियत एल.के.सिंह (RPFC).. पेज-8

▶ वर्ष : 15 ▶ अंक : 1 ▶ गाजियाबाद, जनवरी, 2019 ▶ मूल्य : 4 रुपया ▶ पृष्ठ : 08 E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

उद्योगों पर बिना एनओसी भूजल दोहन पर पांच हजार रुपए प्रतिदिन जुर्माना

विपिन मल्हन

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

नोएडा। 31 मार्च तक यदि उद्योगो ने एव बिल्डरो ने ग्राउण्ड बाण्ड की एनओसी के लिए आवेदन नहीं किया तो उनको 5000 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनालटी देनी पड़ेगी। सीजीडब्ल्यूए ने अपने 14 नवबर 2018 के आदेश में एनजीटी के आदेश का हवाला देते हुए शासनादेश जारी किया है कि सभी कारखाना मालिक एवं बिल्डर जिन्होंने भी बोरवेल का कनेक्शन लिया हुआ है। वे तुरत 31 मार्च के पहले सीजीडब्ल्यूए की एनओसी के लिए आवेदन कर दें अन्यथा उनसे एनजीटी के निर्देशानुसार पाच हजार रूपया प्रतिदिन के हिसाब से पेनालटी ली जाएगी।

ललित ठुकराल

ललित ठुकराल अध्यक्ष एनएईसी नोएडा एपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर ने कहा कि सभी कारखाना मालिको को भूजल दोहन की अनुमति लेनी होगी और सभी लोग जो इसके दायरे में आते है वे एनजीटी के आदेश का पालन करेंगे।

सत्येन्द्र सिंह

लॉ ऑफ लेबर एडवोईजोर्स असोसीएशन यू पी के प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिह ने कहा की एनजीटी के आदेश का पालन करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि अत्यधिक भूजल दोहित होने के कारण आज दिल्ली नॉएडा एव गाजियाबाद अत्यन्त ही डार्क जोन मे आ गए है एवं यहॉ पर पानी का स्तर अत्यन्त ही खतरनाक स्थिति में पहुँच गया है जो की हमारी आने वाली नस्लो के लिए खतरनाक है।

नोएडा एन्ट्रेप्रिनियोर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विपिन मल्हन ने कहा है कि एनजीटी के आदेश का पालन सभी उद्योगपतियों को करना चाहिए क्योंकि जब हम गाडी भी खरीदते है तो हमे पाल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है तो इस लिहाज से हमें एनजीटी के आदेश का भी सम्मान करना चाहिए। क्योंकि एनजीटी बोरिंग करने से हमे नही रोक रहा है।

रितु माहेश्वरी ने गाजियाबाद को सूबे में प्रथम स्थान दिलाया

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ मे आयोजित राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह 25 दिसबर 2018 में स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अन्तर्गत 15 नवबर, 2018 से 15 दिसंबर, 2018 तक आयोजित वार्ड प्रतिस्पर्धा–2018 में किये गये प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर राज्य स्तर पर सर्वोकृष्ट प्रदर्शन करने पर जनपद गाजियाबाद को प्रथम रैकिंग प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री द्वारा जिलाधिकारी गाजियाबाद श्रीमति रितु माहेश्वरी को विशिष्ट श्रेणी मे स्वच्छता के प्रति कार्य करने पर बेस्ट स्वच्छता अवार्ड प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। गाजियाबाद नगर निगम के वार्ड नबर–67 को प्रदेश में बेस्ट स्वच्छ वार्ड के अतर्गत एव गाजियाबाद नगर निगम को प्रदेश मे बेस्ट स्वच्छ नगर निगम के अंतर्गत दोनों श्रेणियों में द्वितीय रैकिंग प्राप्त होने पर महापौर एव नगरायुक्त गाजियाबाद नगर निगम को विशिष्ट श्रेणी मे स्वच्छता के प्रति कार्य करने पर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद लोनी के वार्ड 33 को प्रदेश मे बेस्ट स्वच्छ वार्ड के अतर्गत द्वितीय रैकिंग, नगर पालि. का परिषद खोड़ा–मकनपुर के वार्ड नंबर 8 को प्रदेश में बेस्ट स्वच्छ वार्ड के अन्तर्गत चतुर्थ रैकिंग व नगर पालिका परिषद मुरादनगर को यू0एल0बी0 अवार्ड के अंतर्गत प्रदेश मे पंचम रैकिंग प्राप्त होने पर सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय पुरूस्कार समारोह में जनपद से महापौर, जिलाधिकारी, नगर आयुक्त, संबधित नगर पालिकाओं के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारीगण एवं पार्षदगण द्वारा प्रतिभाग किया गया।

औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण को अनुमति जरूरी

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

गाजियाबाद। जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी ने अधिकारियो को स्पष्ट निर्देश दिए है कि वह बिना अनुमति के किसी भी औद्योगिक इकाई का निरीक्षण नही करेगे। इसके साथ ही उन्होने निर्देश दिए कि उद्यमियो की समस्या का तेजी से समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि उद्योग जितने मजबूत होंगे उतनी ही तेजी से अर्थव्यवस्था मजबूत व विकसित होगी। जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी कलक्ट्रेट सभागार में स्माल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ बैठक ले रही थी। बैठक मे जिलाधिकरी ने उद्यमियों की समस्याओ का निराकरण किया। बैठक उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि कोई भी अधिकारी बिना उनकी अनुमति के किसी भी औद्योगिक इकाई मे निरीक्षण नही करेगे और अनुमति के बाद भी यदि किसी उद्यमी के उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त हुई तो संबधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रो में विद्युत की उपलब्धता मानक के अनुरूप होनी चाहिए। उन्होंने औद्योगिक उत्पादन के लिए गैस का विकल्प उपलब्ध कराने के संबध मे उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए कि वह आइजीएल को उनके माध्यम से पत्र भेजें। डीएम ने कहा कि यदि उद्यमियो को नए विद्युत कनेक्शनो व लोड बढ़वाने की आवश्यकता पड़ती है तो बिना किसी देरी के विद्युत विभाग यह काम सुनिश्चित करे। उन्होंने सहायक स्टाप आयुक्त को एनसीआर मे समान स्टाप शुल्क के संबंध मे उनके स्तर से आयुक्त कर एवं निबंधन विभाग को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए।

अब 1.6 लाख तक वार्षिक आय वाले भी असंगठित श्रमिक

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

लखनऊ। श्रम एव सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पजीकरण के लिए असगठित कर्मकारों की वार्षिक आय को 60 हजार रूपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रूपये करने का निर्देश दिया है। शेष पृष्ठ 7 पर

हरिद्वार से आगे गंगा में प्रदूषण बरकरार

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

नई दिल्ली। सरकार भले ही अगले साल मार्च तक गंगा को 70 से 80 फीसद तक साफ करने का दावा करे, लेकिन हकीकत यह है कि बीते चार साल में गंगा में प्रदूषण में अपेक्षित कमी नही आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की एक रिपोर्ट के अनुसार हरिद्वार से आगे गंगा मे प्रदूषण की स्थिति बरकरार है। शेष पृष्ठ 7 पर

एक घर में दो बोरवेल के लिए एनओसी लेना होगा जरूरी

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

नई दिल्ली। अगले साल 1 जून से भूजल दोहन आसान नही होगा। अब एक ही घर मे एक मीटर परिधि वाले दो बोरवेल के लिए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) हासिल करना जरूरी होगा। जबकि एक बोरवेल लगाने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नही होगी। शेष पृष्ठ 7 पर

अवैध फ्लैट के बिल्डरों एवं भूमाफियाओं का अवन्तिका में आतंक

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

गाजियाबाद। अवंतिका प्रथम शहर की एक पॉश कालोनी है जिसमे शहर के जाने माने उद्योगपति से लेकर सरकारी अधिकारी तक निवास करते है। शेष पृष्ठ 8 पर

मृतक आश्रित कोटा अनुकंपा नियुक्ति है, अधिकार नहीं

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी को नौकरी का समान अवसर मिले यह सामान्य अधिकार है और मृतक कर्मी के आश्रित को नियुक्ति मिले यह सामान्य अधिकार का अपवाद है। कहा कि मृतक आश्रित सेवा नियमावली का उद्देश्य आश्रित के लिए पद आरक्षित करना नही है। शेष पृष्ठ 3 पर

उद्योग विहार
निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र

श्रम जगत

E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, जनवरी, 2019

विभिन्न प्रदेशों का न्यूनतम वेतन

U.P. Minimum Wages

General
w.e.f. 01/10/2018 To 31/03/2019

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	7675.45
Semi Skilled	8443.00
Skilled	9457.49

Engineering (50 to 500)
w.e.f. 01/08/2018 To 31/01/2019

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8975.63
Semi Skilled	9856.30
Skilled	10942.06

Engineering (above 500)

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	9409.93
Semi Skilled	10350.93
Skilled	11291.92

Delhi Minimum Wages
w.e.f. 01/10/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Skilled	16962.00
Semi Skilled	15400.00
Un-Skilled	14000.00

Rajasthan Minimum Wages
w.e.f. 01/01/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	5338.00
Semi Skilled	5798.00
Skilled	6058.00
Highly Skilled	7358.00

Gujrat Minimum Wages
w.e.f. 01/04/2018 To 30/09/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Zone-I	
UnSkilled	8117.20
Semi Skilled	8325.20
Skilled	8559.20
Zone-II	
UnSkilled	7909.20
Semi Skilled	8117.20
Skilled	8325.20

Punjab Minimum Wages
w.e.f. 01/03/2018

Category Of Workers	Minimum Wages
Highly Skilled	10561.17
Skilled	9529.17
Semi Skilled	8632.17
Un-Skilled	7852.17

Haryana Minimum Wages
w.e.f. 01/01/2017

Category Of Workers	Minimum Wages
Un-Skilled	8280.20
Semi Skilled-A	8694.20
Semi Skilled-B	9128.91
Skilled-A	9585.35
Skilled-B	10064.62
Highly Skilled	10567.85

हिंद मजदूर सभा की 70वीं वर्षगांठ पर मुख्यालय का उद्घाटन

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

देश के एक मात्र गैर राजनीतिक मजदूर संगठन "हिन्द मजदूर सभा" ने अपनी 70वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस शुभ अवसर पर बिना किसी पूजीपति की आर्थिक सहायता के केवल मेहनतकशों के पैसे से एक शानदार चार मंजिला मुख्यालय भवन एच.डी. देवगौडा पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार ने मेहनतकशों को समर्पित किया।

वर्तमान सरकार की श्रम विरोधी नीतियों की निंदा करते हुऐ, सरकार के विरुद्ध सशक्त संगठित संघर्ष, आंदोलन और जन जागरण की आवश्यकता है

कार्यक्रम का संचालन हिन्द मजदूर सभा के राष्ट्रीय महामंत्री कामरेड हरभजन सिंह सिध्दू ने किया।

इस अवसर सर्वश्री शरद यादव, सुबोधकांत सहाय, सी.ए. राजाश्रीधर अध्यक्ष हिंद मजदूर सभा, नारी नरसिम्हा रेड्डी पूर्व श्रम और गृह मंत्री तेलंगाना, का. संजीवारेड्डी – अध्यक्ष इंटक, श्रीमती अमरजीत कौर – महामंत्री एटक, का. तपन सेन सीटू, के. सी. त्यागी जनता दल (यू), संजय सिंह राज्य सभा सदस्य (आप पार्टी), उमा शंकर मिश्र महामंत्री हिन्द मजदूर सभा उ.प्र., टुशीमुनो – जापान, लक्ष्मण प्रसाद – नेपाल, डा.सुनीलम, संजय वधायकर, एस.डी.त्यागी, अखिलेश त्रिपाठी (विधायक – आप), अब्दुल गनी सारग, संगम त्रिपाठी, सुश्री क्रिस्टीन नाथन, आदि ने अपने वक्तव्य में समाजवादी श्रमिक आंदोलन पर प्रकाश डालते हुऐ, उसकी उपलब्धियां बताईं। वक्ताओं ने कहा कि अंग्रेजों की दलाली करने वाले, अब पूंजीपतियों की दलाली कर देश को आर्थिक गुलाम बनाने और इसकी सतरंगी तहजीब को छिन्न भिन्न करने पर उतारु है। अपने चहेते पूंजीपतियों से ऋण वापस लेने के बजाये, आम आदमी की गाढ़ी कमाई के रिजर्व फंड पर सरकार की बुरी नजर है। इसलिए वर्तमान सरकार की श्रम विरोधी नीतियों की निंदा करते हुऐ, सरकार के विरुद्ध सशक्त संगठित संघर्ष, आंदोलन और जन जागरण की आवश्यकता है।

समारोह देश विदेश के विभिन्न विभागों के श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ भारी संख्या में मेहनतकश शामिल हुए। आभार सुश्री चम्पा वर्मा ने ज्ञापित किया।

फैक्ट्री बंद करने का आदेश

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गाजियाबाद की फैक्ट्री एमए गारमेंट को बंद करने का आदेश दिया है। जल प्रदूषण फैलाने की आरोपित इस फैक्ट्री पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बोर्ड के सदस्य सचिव आशीष तिवारी ने बताया कि कुंभ 2019 के मद्देनजर गंगा व सहायक नदियों में जल प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी के तहत गुरूवार को गाजियाबाद की इस गारमेंट फैक्ट्री पर जुर्माना लगाने के साथ ही इसे बंद करने का आदेश जारी किया गया है।

सभी के लिए नववर्ष 2019 मंगलमय हो

SATENDRA SINGH
CMD

+91-9818697406

LEGAL INFOSOLUTIONS PVT LTD.
http://www.legalipl.com

- LABOUR LAWS
- HR MANAGEMENT
- PAYROLL OUTSOURCING MANAGEMENT
- SOCIAL AUDIT & COMPLIANCE'S)

TAKSHAK MANAGEMENT INDIA PVT LTD
http://www.takshakindia.com

- EVENTS MANAGEMENT
- PR MANAGEMENT
- ARTISTS MANAGEMENT

उद्योग विहार
(निष्पक्ष एवं निर्भीक समाचार-पत्र)
http://www.uvindianews.com

उत्थान समिति
UTTHAN SAMITI
(A RAY OF HOPE)
http://www.utthanindia.com

BE-243, G.F., Avantika, Ghaziabad- U.P.- 201002
The Ithum IT Park, Suite # 007, 3rd Floor, Tower C, Plot No. 40 A, Sector 62, Noida, 201301-U.P. India
9818036460
legalipl243@gmail.com

उद्योग विहार
निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

उत्थान समिति ने झुग्गियों में गरम कपड़े एवं फल बाँटे

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

गाजियाबाद। उत्थान समिति ने झुग्गियो मे गरम कपड़े एवं फल बाँटे। समिति ने यह कपड़े स्कूल के बच्चों से इकट्ठे किये थे। चौधरी छबीलदास स्कूल के बच्चों ने इस नेक कार्य के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से कपड़ों को बाँटने के लिए समिति को सौंपा था।

समिति के चेयरमैन सत्येन्द्र सिंह ने कहा की हमे अपने घरों की सफाई साल मे एक बार अवश्य करनी चाहिए तथा वे अनावश्यक सामान व कपड़े जो कि हम किन्ही कारण से नही पहन सकते हैं अपने बच्चो के कपड़े जो कि उम्र बढ़ने के साथ–साथ छोटे होते जाते है जबकि वे अधिक न पहनने के कारण बिल्कुल नए जैसे ही होते हैं उनको हम कबाड़ी को मात्र कुछ रूपयों के लिए बेच देते है। यदि ये कपड़े किसी गरीब के तन पर पड़ जाएँ तो उसकी गर्माहट पाकर उसके मुँह से जो आशीर्वाद निकलेगा वह उन कबाडी को बेचकर मिले रूपयो से कई गुना अधिक कीमती होगा।

हमने कपड़े उन्ही जरूरतमंदो को दिए है जो वाकई मे उसके हकदार थे। तथा इस नेक कार्य मे छबीलदास पब्लिक स्कूल के जिन बच्चों ने इसमें योगदान दिया था उन सभी बच्चो को संस्था के तरफ से सर्टिफिकेट प्रदान किये जायेगे। उत्थान समिति ने इस अवसर पर फलों का भी वितरण किया। इस अवसर पर छबीलदास की प्रिंसिपल तृप्ति माथरी एवं वाईस प्रिंसिपल रितु शुक्ला, बबिता सिंह, रीना, जीतेन्द्र चौधरी इत्यादि लोग मौजूद थे।

अगर गरीब के तन पर गर्म कपड़े पड़ जाएं तो उसका आशीर्वाद उस कबाड़ी को बेचकर मिले रूपयों से कई गुना अधिक कीमती होगा : चेयरमैन सत्येन्द्र सिंह

मृतक आश्रित कोटा अनुकंपा नियुक्ति है, अधिकार नहीं

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

इलाहाबाद। यह कर्मचारी की मौत से परिवार पर आई तत्कालिक विपत्ति का सामना करने की एक अनुकंपा नियुक्ति है। जो सामान्य नियम का अपवाद है। इससे आश्रित को नियुक्ति पाने का अधिकार नही मिल जाता। कोर्ट ने याची के मामले को अपवाद माननने से इन्कार कर दिया और एकलपीठ के फैसले को सही करार देते हुए आदेश के खिलाफ विशेष अपील खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की खडपीठ ने मीरजापुर की पूनम यादव की अपील पर दिया है। अपील पर राज्य सरकार के अधिवक्ता बीपी सिंह कछवाह ने कहा कि सरकार आश्रित के लिए अनिश्चित समय तक पद आरक्षित नही रख सकती। एक निश्चित अवधि में दाखिल अर्जी पर ही विचार हो सकता है। मालूम हो कि याची के श्वसुर की पुलिस विभाग मे सेवा के दौरान 22 दिसंबर 1999 को मौत हो गई। याची के पति ने 2004 में मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति की माग मे अर्जी दी। इसी बीच 29 मई 2004 को पति की सडक दुर्घटना मे मौत हो गई। 23 जनवरी 2014 को याची पूनम यादव ने श्वसुर के आश्रित के रूप मे नौकरी की माग मे अर्जी दी, पुलि विभाग ने यह कहते हुए अर्जी खारिज कर दी कि याची के पति सेवा में नही थे। याचिका दाखिल होने पर हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को नए सिरे से सकारण निर्णय लेने का निर्देश दिया। विभाग ने कहा कि परिवार में मृतक की विधवा पुत्रवधु शामित है। कर्मी की मृत्यु के समय याची विधवा नहीं थी। विभाग ने हाईकोर्ट की पूर्णपीठ के शिव कुमार दुबे केस के फैसले के सिद्धांतों के आधार पर एक सितंबर 2018 को अर्जी खारिज कर दी। जिसे हाईकोर्ट मे चुनौती दी गई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने याचिका को बलहीन मानते हुए खारित कर दिया जिसे विशेष अपील मे चुनौती दी गई थी।

लॉ ऑफ लेबर एडवाजर्स एसोसिएशन की बैठक संपन्न

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

गाजियाबाद। LLAAUP की एक मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुयी जिसमे अशोक श्रीवास्तव एवं आर.सी. माथुर ने श्रम विभाग मे एवं कारखाना विभाग में चल रही समस्याओं के लिए डीएलसी एव डी.डी.एफ. के साथ मिलकर उनको सुलझाने के लिए प्रस्ताव लाया जिसका सभी सदस्यों ने समर्थन किया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया की अति शीघ्र मीटिंग का समय निर्धारित किया जाये।

आई.एस. वर्मा ने प्रस्ताव लाया की सर्दियों की छुट्टियाँ 20 दिसम्बर 18 से 4 जनवरी 19 तक किया जाये जिसका सभी सदस्यो ने समर्थन किया तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। इस मौके पर अशोक श्रीवास्तव, आई. एस. वर्मा, डॉ. एस.एस. उपाध्याय, राज. श सिंह, अरविन्द श्रीवास्तव, वी.डी. व्यास, योगेश कु., वीरेन्द्र चौधरी, नीरज सिन्हा, शैलेश श्रीवास्तव, ओ.पी. व्यास, रमेश गोस्वामी, निरंजन गुप्ता, अमित गौर, पुनीत गौर, शुभांशु शेखर, अजित श्रीवास्तव, राज सिंह, दमयंती इत्यादि लोग मौजूद थे।

294 नाले कर रहे गंगा और सहायक नदियों को प्रदूषित, बोर्ड की रिपोर्ट जारी

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि यूपी मे गंगा और उसकी छह सहायक नदियों मे 294 बड़े नालों का गंदा पानी गिर रहा है। इनमे से 227 नाले तो अकेले गंगा मे गिर रहे हैं। मुख्य सचिव डॉ. अनूपचंद्र पांडेय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्य पर्यावरण अधिकारी अमित चंद्रा ने शनिवार को बताया कि बोर्ड ने निगरानी सेल बनाई है जो कंट्रोल रूम के जरिये इन नालो पर नजर रखेगी। साथ ही नदियो को प्रदूषित कर रही औद्योगिक इकाइयो को रडार पर लेगी। इन उद्योगों से अगर नदियों में प्रदूषित पानी छोड़ा गया तो इकाइयो को नोटिस देकर सील कर दिया जाएगा। इसके लिए 30 लोगो का स्टाफ लगाया गया है।

सम्पादकीय

संकट और मदद

सत्येन्द्र सिंह

सरकारी बैंकों की माली हालत सुधारने के लिए सरकार बैंकों को तिरासी हजार करोड़ रुपए की एक और किस्त देगी। अंदाजा है कि इससे बैंकों को संकट से उबरने में मदद मिलेगी। खासतौर से उन बैंकों को जो त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के दायरे में फंसे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के कई सरकारी बैंकों की हालत इतनी चरमरा गई कि कुछ बैंक तो दिवालिया होने जैसी हालत में आ गए, जबकि कुछ को बड़े बैंकों में मिला कर बचाया गया। गंभीर संकटों से जूझ रहे बैंकों को फिर से खड़ा करने के लिए पिछले साल अक्तूबर में सरकार ने दो लाख करोड़ से ज्यादा की रकम बैंकिंग क्षेत्र में डालने की योजना बनाई थी। तब सरकार ने कहा था कि दो साल के भीतर बैंकों में वह पैसा डाला जाएगा, जिसमें से 18,139 करोड़ रुपए बजट के जरिए और एक लाख पैंतीस हजार करोड़ रुपए पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के जरिए देने थे। बाकी पैसा बाजार से जुटाना था। लेकिन बाजार से पैसा जुटाने में बैंकों को ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल मार्च तक बैंक अट्ठावन हजार करोड़ रुपए जुटा लेंगे, पर हकीकत यह है कि बैंक अब तक चौबीस हजार करोड़ ही जुटा पाए हैं, यानी आधे से भी कम। ऐसे में बैंक बाजार के भरोसे बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। जो पैसा सरकार देगी उसी से बैंकों को जीवन मिलने की उम्मीद की जा रही है। इस साल रिजर्व बैंक ने उन सरकारी बैंकों पर शिकंजा कसा था जो डूबते कर्ज की वजह से बैठ रहे थे। ऐसे बैंकों को केंद्रीय बैंक ने पीसीए की श्रेणी में डाल दिया था। उन पर सख्ती की गई और बड़े कर्ज देने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इन बैंकों का एनपीए तेजी से बढ़ता जा रहा था। इसलिए अब तिरासी हजार करोड़ में से उन बैंकों को मदद दी जाएगी जो पीसीए के दायरे में तो हैं, लेकिन जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में कर्ज वसूली में सुधार करके दिखाया है। इसके अलावा उन बैंकों को भी मदद मिलेगी जिनके पीसीए के दायरे में आने का खतरा बना हुआ है। बैंकों को दी जा रही इस संजीवनी से पहला फायदा यह होगा कि वे कर्ज देने की हालत में आ सकेंगे। हाल में रिजर्व बैंक और सरकार के बीच जो टकराव चला था, उसका एक बड़ा कारण पीसीए का मुद्दा भी था। सरकार चाहती थी कि इन बैंकों को पीसीए के दायरे से बाहर किया जाए और उन पर से कर्ज देने की पाबंदी हटाई जाए। हकीकत यह है कि डूबे कर्ज की वसूली में बैंक नाकाम साबित हो रहे हैं। डूबे कर्जों को बेचने या डिफॉल्टरों की जायदाद नीलाम करने जैसे कदमों का भी खास फायदा नहीं हुआ है। देश के दस बड़े बैंक जून तिमाही में सिर्फ चौदह हजार करोड़ रुपए ही वसूल पाए थे। बैंकों के सामने दोहरा संकट यह है कि जहां वसूली की रफ्तार बेहद धीमी है, वहीं नया एनपीए बनने की रफ्तार थम नहीं रही। नीलामी की प्रक्रिया भी आसान नहीं है। जितना कर्ज होता है उसका एक चौथाई भी वसूल नहीं हो पाता। कुछ समय पहले आई रिजर्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में साफतौर पर चेताया गया है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए और खराब वक्त आने वाला है। बैंकों की आर्थिक स्थिति और खराब होती है तो एनपीए का आंकड़ा मार्च 2019 तक 13.3 फीसद के पार जा सकता है। ऐसे में सरकार के अरबों के राहत पैकेज बैंकों को संकट से निकाल पाने में अगर कारगर हो पाते हैं, तो यह बड़ी उपलब्धि होगी।

मोदी को 2019 का चुनाव जिताने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं योगी

आम चुनाव हो और उत्तर प्रदेश की चर्चा न हो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जो जाता है। 2014 में अगर मोदी की सरकार बनी तो इसमें उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। नया साल आने वाला है। इसको लेकर लोगों में उमंग है तो सियासी गलियारों में भी नव वर्ष का बेताबी से इंतजार हो रहा है। 2019 में आम चुनाव होना है। देश को नई सरकार मिलेगी। नई सरकार मोदी के नेतृत्व में बनेगी या फिर जनता किसी और पर अपना विश्वास जतायेगी, यह प्रश्न कौतूहल पैदा करता है। आम चुनाव को लेकर सभी दलों में सरगर्मी तेज है। कहीं महागठबंधन की बात हो रही है तो कहीं ठगबंधन की चर्चा है। हां, इतना जरूर तय है कि 2019 के चुनावी दंगल में एक पाले में मोदी ताल ठोंकते नजर आयेंगे तो दूसरे पाले में मोदी विरोधी तमाम दलों के नेता ताल ठोंकते नजर आयेंगे। ऐसा नजरा इसलिये देखने को मिलेगा क्योंकि आज की तारीख में कोई भी नेता मोदी को अकेले दम पर चुनौती देने की हिम्मत नहीं रखता है। इन चुनावों की सबसे बड़ी विशेषता है कि अबकी बार राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कांग्रेस से अधिक क्षेत्रीय क्षत्रप महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को इन क्षेत्रीय क्षत्रपों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ रहा है। क्षेत्रीय सूरमाओं की वजह से ही कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तक घोषित नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के इतिहास में यह पहला मौका होगा, जब उनका नेता प्रधानमंत्री पद की दौड़ में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नजर नहीं आ रहा है। आम चुनाव हों और उत्तर प्रदेश की चर्चा न हो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जो जाता है। 2014 में अगर मोदी की सरकार बनी तो इसमें उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बीजेपी गठबंधन को यहां 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस सहित सपा.बसपा का लगभग सफाया हो गया था। यह और बात है कि तब पूरा देश मोदीमय था, लेकिन बीजेपी की मजबूरी यह है कि उसे यहां से कम से कम 50 55 सीटें तो जीतना ही पड़ेगी। बिना इसके बीजेपी का बेड़ा पार होना मुश्किल होगा। एक तरफ से मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का पूरा दारोमदार योगी के कंधों पर है। इस बात का अहसास राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित सीएम योगी को है भी। सियासी जरूरत को समझते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कमर कस भी ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विकास के साथ.साथ जातीय गणित आदि सभी मोर्चों पर कील.कांटे दुरुस्त कर लेना चाहते है। इसीलिये किसानों की नाराजगी को दूर करने की भरपूर कोशिश हो रही है। प्रदेश में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिये अधिकारियों के पेंच कसे जा रहे हैं। प्रदेश के किसी भी कोने में साम्प्रदायिक हिंसा न फैले इसके लिये काफी तत्परता बरती जा रही है। हिन्दी भाषी तीन राज्यों से सत्ता हाथ से निकलने के बाद सरक ारी कर्मचारियों की नाराजगी से बचा जा रहा है। महिलाओं के लिये कल्याणकारी योजनाएं, बेरोजगारी को दूर करने के लिये बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही यूपी सरकार ने विकास के कामों की रफ्तार बढ़ा दी है। इसलिए योगी सरकार पूर्ण बजट से पहले मौजूदा वित्तीय वर्ष में दूसरी बार छोटा अनुपूरक बजट ले आई है ताकि आंगनबाड़ी कार्यकताओं और सहायिकाओं के मानदेय के लिए पैसे का इंतजाम किया जा सके। स्वच्छता मिशन के तहत गांवों में शौचालय निर्माण की रफ्तार बरकरार रखने के लिए सरकार ने अपनी पोटली खोल दी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिए भी भरपूर धनराशि देने का प्रस्ताव है। जो मतदाता विकास की बात करते हैं उनको लुभाने के लिये विकास पर ध्यान दिया जा रहा है तो धर्म से जुड़े लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए यूपी में छोटे मंदिर.मठों और गोशालाओं को बिजली के बिलों में भारी छूट दी गई है। पांच किलोवाट तक के कनेक्शन वाले धार्मिक आश्रम या मठ आदि जो चौरिटेबल ट्रस्ट में पंजीकृत हैं, उनसे अब घरेलू टैरिफ के अनुसार बिल लिया जाएगा। पहले इनकी बिलिंग कमर्शियल टैरिफ में होती थी। इसी प्रकार पांच हॉर्स पावर तक गोशालाओं की बिलिंग भी नलकूप के टैरिफ के अनुसार की जाएगी। बिलिंग घरेलू टैरिफ व नलकूप श्रेणी में होने से इन छोटे संस्थाओं गोशालाओं को हर महीने 500 से 1000 रुपये का सीधा फायदा होगा। विद्युत नियामक आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार द्वारा सड़कों और पुलों के अधूरे काम जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं अयोध्या समेत पांच जिलों में बन रहे नए मेडिकल कॉलेजों के लिए प्रतीक रूप में धनराशि आवंटित कर दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लखनऊ के चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए 10 करोड़ तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए तीन हजार करोड़ की भारी भरकम राशि का इंतजाम किया गया है। उधर, जातीय वोट बैंक की सियासत को मजबूती प्रदान करने के लिये योगी सरकार द्वारा कोटे में कोटा का नया प्रावधान किया जा रहा है। ताकि पिछड़ों में अति.पिछड़ों को तलाश कर उनके लिये अलग से आरक्षण व्यवस्था की जा सके। इसी क्रम में गैर.यादव (वह वोट बैंक जिस पर अभी किसी भी पार्टी का पूरा कब्जा नहीं है) ओबीसी वोटरों को लुभाने के लिए योगी सरकार बड़ा दांव खेलने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसी साल जून में चार सदस्यीय समिति का गठन करके ओबीसी आरक्षण को अलग.अलग श्रेणियों में बांटे जाने के मामले में रिपोर्ट मांगी थी। पिछड़ों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन और नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी के अध्ययन के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इसमें बीएचयू के प्रोफेसर भूपेंद्र विक्रम सिंह, रिटायर्ड आईएएस जेपी विश्वकर्मा और सामाजिक कार्यकर्ता अशोक राजभर शामिल थे। विश्वकर्मा 2002 में राजनाथ सरकार में बनी सामाजिक न्याय अधिकारिता समिति में भी सचिव थे। करीब छह माह बाद समिति ने अपनी रिपोर्ट में 27 फीसदी पिछड़ा आरक्षण को तीन हिस्सों– पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा में बांटने की सिफारिश की है। पहली श्रेणी को 7 प्रतिशत, दूसरी श्रेणी को 11 प्रतिशत और तीसरी श्रेणी को 9 प्रतिशत आरक्षण वर्ग में रखा जाना प्रस्तावित है। इसी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यादवों और कुर्मियों को 7 फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है।

समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि यादव और कुर्मी न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से बल्कि आर्थिक और राजनीतिक रसूख वाले हैं। यादव समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है जबकि कुर्मी बीजेपी समर्थित अपना दल का कोर वोटर है। जस्टिस राघवेंद्र कमिटी की रिपोर्ट में ओबीसी को 79 उपजातियों में बांटा गया था। इस रिपोर्ट में समिति ने सबसे ज्यादा आरक्षण की मांग अति पिछड़ा वर्ग के लिए की है, जो 11 फीसदी है। उन्होंने लोध, कुशवाहा, तेली जैसी जातियों को इस वर्ग में रखा है। 400 पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अति पिछड़ा जाति के लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं उनकी जनसंख्या से आधी हैं। इस जाति की श्रेणी में आने वाले कुछ खास वर्ग है जिन्हें सबसे ज्यादा नौकरियां मिल रही हैं।

किसान भी समझ गये कर्जमाफी का खेल, कर्ज के पैसे का हो रहा दुरुपयोग

मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये तीनों कृषि–प्रधान प्रांत हैं। किसानों ने कांग्रेस को जमकर वोट दिए हैं। तीनों मुख्यमंत्रियों ने शपथ लेते ही जो कर्जमाफी की घोषणा कर दी, इसने कांग्रेस की छवि आम नागरिकों के मन में चमका दी है। तीन हिंदी प्रदेशों में चुनाव जीतने से ही तीनों कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने किसानों की कर्जमाफी कर दी है। इस कर्जमाफी से इन तीनों सरकारों पर लगभग 50 हजार करोड़ का बोझ आन पड़ा है। कर्जमाफी के इस वादे ने ही कांग्रेसी जीत की नींव रखी है। मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़– ये तीनों कृषि–प्रधान प्रांत हैं। किसानों ने कांग्रेस को जमकर वोट दिए हैं। तीनों मुख्यमंत्रियों ने शपथ लेते ही जो कर्जमाफी की घोषणा कर दी, इसने कांग्रेस की छवि आम नागरिकों के मन में चमका दी है। लोगों के मन में यह धारणा बन रही है कि कांग्रेसी जो कहते हैं, वह करते हैं जबकि भाजपा नेता सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं ? लेकिन यहां पहला सवाल उठता है कि ये तीनों राज्य इस 50–60 हजार करोड़ रु. की राशि लाएंगे कहां से ? अपने बजट में ये मुख्यमंत्री क्या काटेंगे और क्या जोड़ेंगे ? भाजपा की केंद्र सरकार तो इनको कोई टेका लगाने वाली नहीं है ?

इसके अलावा एक सवाल यह भी है कि ज्यादातर किसान बैंकों तक पहुंच ही नहीं पाते। वे तो अपने गांवों के सूदखोरों के कर्जदार बने रहते हैं। उनका कर्ज माफ कैसे होगा ? नीति आयोग का कहना है कि कर्जमाफी का लाभ मुश्किल से 10–15 प्रतिशत किसानों को ही मिल पाता है। पिछले 15–20 साल से कर्जमाफी के इस रामबाण को सभी पार्टियां चला रही हैं लेकिन क्या देश के किसानों की गरीबी दूर हो रही है ? उनकी गरीबी दूर हो न हो, कर्जमाफी का वादा इतना बड़ा लालच है कि उसके कारण नेताओं की गरीबी दूर हो जाती है। वे वोटों की फसल काट ले जाते हैं। मनमोहन सिंह सरकार ने 2008–09 में 70 हजार करोड़ के कर्ज माफ करके अपनी वापसी पक्की करा ली थी। इसलिए अब राहुल गांधी ने कहा है कि यदि मोदी ने माफ नहीं किया तो 2019 में हम माफ करेंगे। इसमें शक नहीं कि कर्जमाफी के कारण हजारों किसान आत्महत्या करने से रुकेंगे लेकिन हम यह भी न भूलें कि कई किसान इस कर्ज का उपयोग खेती पर करने की बजाय मकान बनाने, कार और बाइक खरीदने और दिखावे पर ज्यादा करते हैं। किसानों को तात्कालिक राहत मिले, इस दृष्टि से एकाध बार कर्जमाफी ठीक है लेकिन उनकी दशा वास्तव में सुधारना हो तो उनकी उपज के लिए कठोर दाम बांधो नीति और फसल बीमा होना चाहिए। उनके लिए बीज, खाद और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। यदि यह सब हो तो आखिर किसान का भी स्वाभिमान होता है। वह आपसे कर्ज लेगा ही क्यों?

उद्योग विहार
निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

गाजियाबाद, जनवरी, 2019

दुष्कर्म पीड़िता के साथ अपराधी से ज्यादा बदतर व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण

दुष्कर्म पीड़िता के साथ अपराधी से ज्यादा बदतर व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने समाज में दुष्कर्म पीड़िता के साथ अपराधी से बदतर और अछूत जैसे व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर नही होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म की धाराओं और पॉक्सो कानून के तहत दर्ज प्राथमिकी सार्वजनिक नही होनी चाहिए। कोर्ट ने दुष्कर्म और यौनन उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने के बारे में कुल नौ दिशा–निर्देश जारी किये हैं।

न्यायमूर्ति मदन बी.लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न पीड़ितों की पहचान उजागर नही करने और उनके हित सुरक्षित रखने के मुद्दे पर फैसला सुनाते हुए ये आदेश दिये हैं।

कोर्ट ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया पर दुष्कर्म पीड़िता का नाम या उससे जुड़ा कोई भी ऐसा तथ्य, जिससे उसकी पहचान उजागर होती हो, प्रकाशित नहीं करेगा। यहां तक कि जिसकी मौत हो चुकी हो या जिसका मानसिक संतुलन ठीक न हो उसकी पहचान भी उसके संरक्षक की इजाजत के बावजूद उजागर नही की जाएगी। जिन मामलों में बहुत जरूरी होगा उसमें भी सत्र अदालत की इजाजत पर ही पहचान सार्वजनिक हो सकेगी।

पीड़ित की पहचान सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी संबधित अथॉरिटी पर : कोर्ट ने सभी संबंधित अथॉरिटी से कहा है कि अगर जांच एजेंसी या कोर्ट ने उन्हे पीड़ित की पहचान बताई है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वे पहचान गोपनीय रखेंगे और सिर्फ जांच एजेंसी या कोर्ट को सील बंद लिफाफे में दी गई रिपोर्ट मे ही बताएंगे। जिस पीड़ित की मौत हो चुकी है या जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उसके परिजन आइपीसी की धारा (2) (सी) के तहत नाम सार्वजनिक कराने की मांग के लिए सत्र अदालत में अर्जी दाखिल कर इजाजत लेंगे।

अदालत के आदेश पर ही पहचान हो सकेगी उजागर

पॉक्सो के तहत नाबालिग पीड़ित की पहचान बच्चे के हित को देखते हुए विशेष अदालत की इजाजत पर ही उजागर हो सकेगी। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे हर जिले में कम से कम एक वन स्टाप सेंटर खोलें ताकि पीड़ित को एक ही जगह चिकित्सा, काउंसलिग कानूनी मदद से लेकर हर प्रकार की सहायता मिल सके।

फैसले की प्रति भेजने का निर्देश

कोर्ट ने फैसले की प्रति प्रत्येक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजने का निर्देश दिया है ताकि वे इसे हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के सामने पेश कर सकें, जरूरी निर्देश जारी किये जा सकें और प्रत्येक जिले में एक वन स्टाप सेंटर खोलने के गंभीर प्रयास हो सकें।

पीड़ित को महसूस कराया जाता है कि वही अपराध का कारण है

नई दिल्ली। कोर्ट ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि हमारे समाज में यौन उत्पीड़न पीड़िता विशेष तौर पर दुष्कर्म पीडिता से उस अपराध को अजाम देने वाले से बदतर व्यवहार होता है। पीड़ित निर्दोष होती है। उसके साथ जबरदस्ती हुई होती है। उसकी कोई गलती नही होती, लेकिन समाज उसके साथ हमदर्दी रखने के बजाय उसके साथ अछूत जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। समाज में पीड़ित के साथ परित्यक्ता और बहिष्कृत जैसा बर्ताव होता है। कई बार तो पीडिता का परिवार भी उसे वापस स्वीकार नहीं करता।

यह कड़वी सच्चाई है कि बहुत बार पीड़िता का परिवार इज्जत बनाए रखने की झूठी धारणा के चलते दुष्कर्म की शिकायत नहीं दर्ज कराता। मामला यही खत्म नहीं हो जाता, एफआइआर होने के बाद कई बार पुलिस पीड़ित से अभियुक्त की तरह पूछताछ करती है। अगर लड़की युवा है और किसी लड़के के साथ आती जाती है उसे टेंट करती है तो उसे भयभीत करने वाले सवाल किये जाते हैं। न्याय की राह मे पीड़िता की पहली मुठभेड़ अरूचिकर होती है, जिसमे उसे महसूस कराया जाता है कि उसकी गलती है।

50 किलो से अधिक निकले कूड़ा तो खुद करें निस्तारण

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

गाजियाबाद। जिन सस्थाओ और ग्रुप हाउसिंग से रोजाना 50 किलो से ज्यादा कूड़ा निकलता है, उन्हें उसके निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी। प्रताप विहार डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डालने पर रोक लगाने के यूपी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देश पर नगर निगम यह कदम उठाने जा रहा है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को सख्ती से लागू करने की तैयारी चल रही है। जो ऐसा नही करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुर्माना भी लगाया जाएगा। 24 दिसंबर को इसके लिए नगर निगम की आपात बोर्ड बैठक बुलाई गई है।

लगाना होगा कंपोस्ट प्लांट : इन सस्थानो और ग्रुप हाउसिग को कचरे से खाद बनाने के लिए कपोस्ट प्लांट लगाना होगा। इसके लिए नोटिस दिए जाएंगे। प्लांट लगाने के लिए वक्त दिया जाएगा। नियत वक्त मे जहां प्लाट नहीं लगेगा, वहां कार्रवाई की जाएगी। अब तक किसी पर इस तरह की बाध्यता नहीं है।

बनाए जाएंगे 15 एमआरएफ सेंटर : नगर निगम शहर में 15 मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) सेंटर बनाने जा रहा है। प्रत्येक परिवार के लिए गीले कूड़े से खाद बनाना अनिवार्य किया जाएगा। सूखे कूड़े को लोग एफआरएफ सेंटर पर डाल सकते हैं।

वहा सूखे कूड़े से कपड़ा, लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़ को अलग–अलग किया जाएगा। इसमें जो कूड़ा वेस्ट–टू–कंपोस्ट प्लाट के जरूरी होगी वहां भेज दी जाएगी। जिसे रीसायकल करना संभव होगा, उससे विभिन्न उत्पाद बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा।

डंपिग ग्राउंड के बारे में बोर्ड लेगा निर्णय : प्रताप विहार डंपिग ग्राउंड पर नगर निगम 15 जनवरी के बाद कूड़ा नहीं डाल पाएगा। यूपी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग कमेटी ने इस तिथि के बाद यहां कूड़ा डालने पर रोक लगा दी है।

अब निगम के सामने संकट खड़ा हो गया है कि कूड़ा कहा डाला जाए। इसका रास्ता तलाशने के लिए भी निगम की आपात बोर्ड बैठक में मंथन होगा।

बोर्ड की आपात बैठक बुलाई गई है। उसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को प्रभावी तरह से लागू करने की रणनीति बनाई जाएगी। डंपिग ग्राउंड का विकल्प तलाशा जाएगा।

अरूण कुमार मिश्रा,
एसबीएम नोडल अधिकारी,
नगर निगम

बॉन्ड जारी करने से पहले दोबारा हो रही क्रेडिट रेटिंग

गाजियाबाद। उद्योगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम दो टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं। जिस पर 236 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसकी डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। जोकि, जल्द शासन को भेजी जा रही है। यह प्लांट लगाने के लिए बॉन्ड जारी कर पैसा जुटाया जाएगा। उसके लिए नगर निगम दोबारा से क्रेडिट रेटिंग करा रहा है। निगम अधिकारियों का कहना है कि पहली रेटिंग पुरानी हो चुकी है। इस बार रेटिंग में पहले से सुधार की उम्मीद है। बेहतर रेटिंग आने पर बॉन्ड पर रिटर्न कम देना होगा।

मुंबई के ईएसआईसी अस्पताल ने सुधारी गलती, देगा पूरा मुआवजा

अस्पताल में आग से छह मरे, 100 से अधिक लोग घायल

- घायलों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया
- फायर ऑडिट में फेल हो गया था अस्पताल, सेंसर थे खराब

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

मुंबई। मुबई के एक ईएसआइसी कामगार अस्पताल मे सोमवार शाम अचानक आग भड़क उठी, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए। दुर्घटना मे घायल एव अस्पताल में पहले से भर्ती मरीजों को निकट के आधा दर्जन अस्पतालो मे स्थानातरित किया गया है।

महानगर के अधेरी स्थित ईएसआइसी कामगार अस्पताल ने पिछले हफ्ते अस्पताल मे लगी आग के बाद अपनी जान गंवाने वाले दो मरीजो के परिजनो को पूरा मुआवजा देने का फैसला किया है। नवजात बच्ची समेत दोनों लोगो की मौत 17 दिसबर को लगी आग की घटना के बाद हुई थी।

अस्पताल के एडिशनल कमिश्नर संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मुआवजे की शेष राशि शुक्रवार तक दे दी जाएगी। सिन्हा ने बताया कि तहसीलदार की रिपोर्ट पर पहला मुआवजा तय किया गया था। कम मुआवजे का मामला सामने आने के बाद तहसीलदार से दोबारा जांच कराई गई, जिसके बाद मुआवजे की बाकी धनराशि देने का फैसला किया गया है।

ललिता लोगावी नामक महिला ने ईएसआइसी अस्पताल में जुड़वा बच्चों एक लड़का और लड़की को जन्म दिया था। आग लगने की घटना के बाद उसकी बच्ची को दूसरे अस्पताल मे भर्ती कराया गया, जहा उसकी मौत हो गई। जबकि, बेटे की हालत गभीर बनी है। ललिता का कहना था कि अस्पताल प्रशासन ने उनकी बच्ची के लिए भी दो लाख रूपये का मुआवजा दिया था। अस्पताल प्रशासन के इस दावे का ललिता और उसके पति ने विरोध किया था। ईएसआइसी अस्पताल श्रम मंत्रालय के तहत आता है। घटना के बाद मंत्रालय ने मृतको के परिजनो को 10 लाख और गभीर रूप से घायलों को 2 लाख रूपये मुआवजा देने की घोषणा की थी।

अवैध फ्लैट के बिल्डरों एवं भूमाफियाओं का अवन्तिका में आतंक

यहाँ के निवासियों का इन लोगों की दबंगई के कारण जीना बेहाल

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

"अवंतिका प्रथम के अध्यक्ष हृदयेश बंसल ने कहा कि अवैध फ्लैटों के बिल्डरों ने गुंडागर्दी की। जब अवंतिका प्रथम के नागरिकों एवं आरडब्ल्यूए ने इसका विरोध किया तो ये लोग गाली–गलौज पर उतारू हो गए। इन बिल्डर्स के ऊपर तुरंत उचित कानूनी कार्यवाही करने की मांग की ताकि अवन्तिका में शान्ति का माहौल बन सके। तथा यह भी मांग की कि इन अवैध बने फ्लैटों को अविलम्ब जीडीए से गिरवायें ताकि भविष्य में किसी हादसे की पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि बिल्डर्स धमका रहे है की हमारी पहुँच ऊपर तक है हमारा कोई कुछ नहीं कर पायेगा। अवंतिका के निवासी अत्यंत भयभीत है।"

आरडब्ल्यूए एक्सटेंशन सचिव मनोज तिवारी

अवंतिका एक्सटेंशन आरडब्ल्यूए सचिव मनोज तिवारी ने कहा कि हम लोग चाहते हैं की मिल–जुलकर समस्या का समाधान निकला जावे ताकि किसी को भी कोई परेशानी न हो। उन्होंने यह भी स्वीकार किया की अवंतिका एक्सटेंशन में दो प्लाटों पर अवैध फ्लैट बने हुए हैं। बाकि अवैध फ्लैट हमारी परिधि में नहीं हैं, वे माया कुंज में बने हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम अवैध फ्लैटों का विरोध करते हैं, उनको अविलंब गिराया जाना चाहिए।

गाजियाबाद। अवंतिका प्रथम नगर निगम के अधीन है तथा इसके देखरेख की जिम्मेयारी नगर निगम की है। आरडब्ल्यूए के लोग जीडीए सचिव से मिले थे तथा उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया था की अवन्तिका प्रथम में जो नाला एवं सीवर लाइन है वह हर समय भरी रहती है जिसकी वजह से यहाँ पर पम्प लगाकर पानी निकालना पडता है तथा अवंतिका एक्सटेशन की लाइन भी यदि आप इसमे जोड़ देंगे (जैसा की जीडीए के अधिकारी प्लानिंग कर रहे थे) तो समस्या अत्यंत विकराल हो जाएगी।

अत आप चाहे तो उसे अवन्तिका एक्सटेंशन के रजवाहे के किनारे से ले जाकर पुलिस लाइन के मुख्य नाले से जोड सकते हैं जो की आपके लिए सुविधाजनक भी रहेगा और समस्या का भी समाधान हो जायेगा। जिसपर जीडीए के अधिकारी सहमत भी हो गए थे। जबकि अवंतिका एक्सटेंशन की आरडब्ल्यूए और बिल्डर नाले को अब भी अवंतिका प्रथम के नाले में ही मिलाने पर अड़े हैं।

अभी हाल ही में इसमें ऊपर से निकल रही हाईटेंशन लाइन मे चिपककर एक युवक की मौत हो गयी थी लेकिन फिर मामले को रफा–दफा कर दिया गया था और फ्लैट अभी भी धड़ल्ले से बन रहे हैं जबकि जीडीए मे इस विषय मे कई बार शिकायत भी दर्ज करवाई जा चुकी है।

इन फ्लैटों को गिराने के लिए पूर्व मे हाईकोर्ट ने गिराने का आदेश भी दे दिया था तथा इन बिल्डरों को भूमाफिया घोषित किया जा चुका है लेकिन प्रशासन की लापरवाही एव इन लोगों की मिलीभगत से मामला दबा दिया गया है।

जिलाधिकारी रितु माहेश्वरी और जीडीए उपाध्यक्ष कंचन वर्मा से आरडब्ल्यूए की तरफ से हृदयेश कंसल (अध्यक्ष), डॉ अनिल वशिष्ठ (उपाध्यक्ष), एके शर्मा (महासचिव), भोपाल सिंह (कोषाध्यक्ष), सत्येन्द्र सिंह, रविंद्र अग्रवाल, पीके गर्ग, बीके सिंह इत्यादि लोग मिले।

असल ने एसटीपी प्लाट चालू नही करके निवासियों को धोखा दिया है। अवंतिका एक्सटेशन जिसका मेंटेनन्स असल बिल्डर्स के द्वारा किया जा रहा है उसमे एक एसटीपी प्लांट लगा हुआ है लेकिन असल ने उसे चालू नही किया है एवं अवंतिका एक्सटेशन की सीवर लाइन का पानी सड़को पर बहता रहता है जिसकी वजह से सड़के भी टूट गयी है।

जीडीए जोन 4 के प्रवर्तन अधिकारी राजेश कुमार वर्मा ने अन्य अधिकारियों के साथ उपाध्यक्ष कंचन वर्मा के निर्देश पर मौके का निरिक्षण किया तथा कहा कि पूर्व में इन फ्लैटों के खिलाफ कार्यवाही हो चुकी है और इन बिल्डरों को भूमाफिआ की श्रेणी रखा गया है। फिर इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

अवंतिका प्रथम मे लगभग 5000 लोग निवास करते है जबकि एक्सटेशन मे लगभग 2000 लोग निवास करते है। अवंतिका एक्सटेशन में सीवर ओवरफ्लो की वजह से पूर्व से ही जलभराव की समस्या है। जिसका निदान आज तक असल ने नहीं किया है जिसका खामियाजा यहाँ के निवासियों को भुगतना पड़ रहा है।

साप्ताहिक बंदी के दिन दुकानें खोलीं तो होगी कार्रवाईः डीएम

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

कब बंद होंगे बाजार, जिलेभर के दुकानदारों को दिए निर्देश

नोएडा। साप्ताहिक बंदी के नियम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जिलाधिकारी बीएन सिंह द्वारा दुकानदारों को निर्देशित किया गया। डीएम वार रूम द्वारा जिले में किस दिन कौन सा बाजार बंद रहेगा, इसकी एक लिस्ट जारी की गई है। डीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के अंतर्गत जिलाधिकारी को साप्ताहिक बंदी में दुकान खोलने वालों पर कार्रवाई करने का अधिकार है। साप्ताहिक बंदी कार्यक्रम के तहत नोएडा मे सेक्टर–1, 3, 15, 16, 57, 68, 80, 90, बरौला, निठारी, मोरना, नया बांस एवं हरौला मार्केट मे सोमवार के दिन साप्ताहिक बंदी होगी। वहीं, सेक्टर–2, 4, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 37, 41, 50, 58, 62, 63, 69, 81, 89 बिशनपुरा, अगाहपुर, फेज–2, हौजरी काम्प्लेक्स झुंडपुरा आदि स्थानो पर मंगलवार को बंदी रहेगी। बुधवार को सेक्टर–5, 7, 27, 28, 29, 59, 67, 83, 88, 110 अट्टा एवं भंगेल मार्केट बंद रहेगी। बृहस्पतिवार को सेक्टर–6, 60, 66, 84 एवं ममूरा मार्केट बंद रहेगी। वहीं, शुक्रवार को सेक्टर–8, 51, 53, 61, 65, 85 गिझोड़ एवं होशियारपुर की मार्केट बंद रहेगी।

छिजारसी में शनिवार को बाजार बंद रहेंगे। ग्रेनो में सोमवार को सेक्टर–अल्फा, बीटा गामा, डेल्टा जगत फार्म व कासना टावर में दुकानें बंद रहेंगी। वहीं, रविवार को सूरजपुर एवं श्यामनगर मंडी बंद रहेगी। जबकि मंगलवार को कुलेसरा, हबीबपुर, हल्दौनी, रबूपुरा व सूरजपुर बाजार बंद रहेंगे। दादरी एवं बिलासपुर बुधवार को बंद रहेंगे। वहीं, दनकौर में बृहस्पतिवार तथा जहांगीरपुर में शनिवार को बाजार बंद रहेगा।

प्रदेश की दिशा बदलेगी ओडीओपी योजना

उद्योग विहार (जनवरी–2019)

मुरादाबाद। प्रदेश में रोजगार और आर्थिक विकास की संकल्पना को साकार करने के लिए शुरू की गई एक जनपद एक उत्पाद योजना (ओडीओपी) की समिट का शुभारंभ शनिवार को हुआ। दो दिवसीय आयोजन में आठ जनपदों के उद्यमियों और हस्तशिल्पियों ने हिस्सा लिया।

मुख्य अतिथि सूक्ष्म, लघु एव मध्यम उद्यम एव निर्यात प्रोत्साहन, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एव वस्त्रोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी ने आठ जिलो के 7,377 लाभार्थियो को स्वरोजगार सृजन के लिए 1,230 करोड रूपये के स्वीकृति पत्र वितरित किए। मंत्री ने कहा कि मुरादाबाद मे पहली समिट है। एक दिन मे आठ जनपदो के 7,377 लोगो को 1,230 करोड रूपये का लोन दिया गया।

लाभार्थियों को मिला 1230 करोड़ लोन

जनपद	लाभार्थी	लोन (करोड़ रुपए)
मुरादाबाद	1,461	423 करोड़
एटा	2,280	100.29 करोड़
मथुरा	1,407	172.60 करोड़
अलीगढ़	983	209 करोड़
कानपुर	1,066	4.07 करोड़
गाजियाबाद	165	317 करोड़
शामली	08	3.68 करोड़
संत कबीरनगर	07	0.397 करोड़

खूब घूमी शामली की रिम : शामली की रिम और धुरा भी छाया रहा। कारोबारियों ने इसके बारे मे जानकारी दी। इस योजना से उम्मीद भी जताई।

मथुरा की बाथरूम फिटिंग : बाथरूम फिटिंग के लिए प्रसिद्ध मथुरा के स्टाल पर बाथरूम एसेसरीज सहज ही आकर्षित कर रही थी।

गाजियाबाद ने दिखाई इंजीनियरिंग : गाजियाबाद के इंजीनियरिंग वर्क को भी काफी सराहा गया। एलईडी बल्ब से लेकर हेवी इंजीनियरिंग मटीरियल को प्रदर्शित किया गया।

अलीगढ़ का 60 किलो का ताला : प्रदर्शनी मे अलीगढ़ का 60 किलो का ताला आकर्षक का केंद्र रहा। हार्डवेयर पर पीएम और सीएम की तस्वीरे उकेरी गई थीं।

उद्योग विहार
निष्पक्ष मासिक समाचार पत्र
E-mail : udyogviharnp@yahoo.com

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को एलएलएएयूपी ने सम्मानित किया

उद्योग विहार (जनवरी–2019)
नोएडा। LLAAUP ने नोएडा RPFC एन. के. सिंह का स्मृति चिन्ह देकर एवं अंगवस्त्रम पहना कर स्वागत किया। नोएडा EPFO को अभी हाल ही में पूरे भारत वर्ष मे सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता का पुरस्कार श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने दिल्ली मे दिया था। कार्यक्रम मे APFC महेश सिंह, APFC शाश्वत शुक्ला, APFC जी.सी. अरोड़ा, APFC सत्येन्द्र का भी पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर एन.के. सिंह ने कहा कि सभी कम्पनियों की KYC जल्द से जल्द पूरी करवाई जाएँ ताकि कर्मचारियो को इसका लाभ समय पर मिल सके। जिस पर LLAAUP के प्रदेश अध्यक्ष सत्येन्द्र सिंह ने आश्वासन दिया की हम लोग अति शीघ्र यह कार्य कर देंगे। चेयरमैन आर.सी. माथुर ने कहा कि हम लोग विभाग का पूरा सहयोग करेंगे। सभी उपस्थित सदस्यो ने अपनी–अपनी समस्याओ से RPFC को अवगत कराया जिनका RPFC ने मौके पर ही निस्तारण किया तथा कुछ समस्याओ के लिए अति शीघ्र सुलझाने का आश्वासन दिया तथा कहा की हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। आप अपनी किसी भी समस्या को लेकर हमारे पास सीधे आ सकते है हम उनका तुरन्त निस्तारण करेंगे।

इस मौके पर अशोक श्रीवास्तव, आई. एस. वर्मा, डॉ. एस.एस. उपाध्याय, राजेश सिंह, अरविन्द श्रीवास्तव, वी.डी. व्यास, योगेश कु., वीरेन्द्र चौधरी, नीरज सिन्हा, शैलेश श्रीवास्तव, ओ.पी. व्यास, रमेश गोस्वामी, निरंजन गुप्ता, अमित गौर, पुनीत गौर, शुभ्रांशु शेखर, अजित श्रीवास्तव, राज सिंह, दमयंती इत्यादि लोग मौजूद थे।

सीबीएसई परीक्षा डेटशीट पर छात्रों ने जताई ये आपत्तियां

उद्योग विहार (जनवरी–2019)
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा 23 दिसंबर को निकाली गई बोर्ड परीक्षा की समय सारिणी को लेकर स्कूल प्रिंसिपल, छात्र व अभिभावकों ने आपत्ति जताई है। छात्रों का कहना है कि महत्वपूर्ण विषयों के प्रश्नपत्र लगातार होने से उसकी तैयारी के लिए समय नहीं मिला है। एक निजी स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि मार्च के आखिर में सीबीएसई ने सभी महत्वपूर्ण विषय रख दिया है। इसे आमतौर पर अधिकांश छात्र लेते हैं या अपने काबिनेशन में रखते हैं। इकोनामिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइकॉलोजी व फिजिकल एजुकेशन के प्रश्नपत्र लगातार है। यह प्रश्नपत्र क्रमश 27, 28, 29 और 30 मार्च को है। वहीं गणित और राजनीति विज्ञान के प्रश्नपत्र भी लगातार 18 व 19 मार्च को रखा है। ह्यूमिनिटीज से 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे एक छात्र का कहना है कि इस स्ट्रीम के छात्रो के लिये गणित के तुरंत बाद तैयारी का समय नही मिलेगा। सीबीएसई के एक अधिकारी का कहना है कि कई विषयों के काबिनेशन है। प्रश्नपत्र की तिथि निर्धारित करने से पहले उन विषयों मे छात्रो की संख्या देखकर तिथि निर्धारित की गई है। ऑल इंडिया पैरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल का कहना है कि छात्रो की समस्या को देखते हुए सीबीएसई को संज्ञान लेना चाहिए। हम सीबीएसई से छात्रहित में बदलाव करने का अनुरोध करते है।

वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति ने मनाया स्थापना दिवस

उद्योग विहार (जनवरी–2019)
गाजियाबाद। वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति का 20वां स्थापना दिवस 16 दिसंबर 2018 को लायन्स क्लब नेत्र चिकित्सालय कविनगर मे बहुत उत्साह से मनाया गया। सभा की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष डॉ. जे.एल. रैना ने की। सेवाधाम आश्रम उज्जैन के संस्थापक सुधीर भाई गोयल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। सुधीर भाई ऐसे व्यक्ति है जिन्होने अपना और अपने परिवार का सम्पूर्ण जीवन अनाथ, अपंग, रोगग्रस्त लोगों की सेवा मे समर्पित किया हुआ है। स्थापना दिवस के अवसर पर छः मेधावी व निर्धन छात्र छात्राओं को 18000/– की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में दी गई। समिति के सचिव आर.के. गुप्ता ने समिति के कार्यकलापों का ब्यौरा देते हुये बताया कि इस वर्ष अब तक लगभग 11,30000 की धनराशि निर्धन व मेधावी छात्र–छात्राओं को वितरित की जा चुकी है। इसके पश्चात समिति की ओर से दानदाताओं तथा 80 वर्षायु प्राप्त सदस्यो को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया।

साथ ही समिति के संरक्षक सुरेश चन्द्रा जिन्हें अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक संघ द्वारा उनकी पुस्तक Make your old age after retirement A golden Period of your life के लिये प्रथम पुरस्कार दिया गया, उनको समिति तथा सद्‌विचार मंच द्वारा सम्मानित किया गया।

शायर अनिमेष शर्मा के गजल संग्रह तेरी मुरादों का जहां का लोकार्पण हुआ

उद्योग विहार (जनवरी–2019)
गाजियाबाद। शायर अनिमेष शर्मा के गजल संग्रह तेरी मुरादों का जहा का लोकार्पण गाजियाबाद के इन्द्रप्रस्थ इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदुस्तान के वरिष्ठ कवियो एवं दिग्गज शायरो के कर कमलो द्वारा सम्पन्न हुआ। मां शारदे के चित्र के सम्मुख सभी अतिथियों ने दीप प्रज्जवलित कर पुष्प अर्पित किए। मां शारदे की वंदना कवियत्री अंजू जैन ने अपने मधुर स्वर में की। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ ओज कवि कृष्ण मित्र ने की तथा मंच की शोभा बढाई उस्ताद शायर मंगल नसीम, विजेंद्र परवाज, सीमाब सुल्तानपुरी, सर्वेश चंदौसवी, उड शैदी जी और अनिमेष शर्मा ने विजेंद्र परवाज ने अपने बीज वक्तव्य में कहा अनिमेष की गजलो को मैंने तहेदिल से सुना है, पढा है और महसूस किया है। वे अपने ख्यालात जजबात और तवस्सुरात सबको गुलो की रंगत देकर एक ऐसा गुलदस्ता तैयार करते है जिसे गजल कहा जाता है। अगर सच कहू तो उनका शिल्प एक चांदी का कटोरा है, उसमे भरे हुए अशआर रंग बिरंगे हीरे जवाहरात है इस अवसर पर उस्ताद शायर सर्वेश चंदौसवी एवं मंगल नसीम एवं सीमाब सुल्तानपुरी ने भी अपने–अपने वक्तव्य देते हुए शुभकामनाएं दीं। अनिमेष शर्मा ने कहा कविता सायास नही कि जा सकती कविता अनायास ही अवतरित होती है। जैसे बारिश की बूंदो को पता नहीं होता कि कौन सी बूंद सीप मे गिरकर मोती बनेगी। वैसे ही किसी कवि को पता नहीं होता कि उसकी कौन सी कविता कब किसको अपनी दास्ता लगने वाली है किसके दिल मे अपनी जगह बनाने वाली है और कौन उसकी कविता को कैसे नवाजता है।

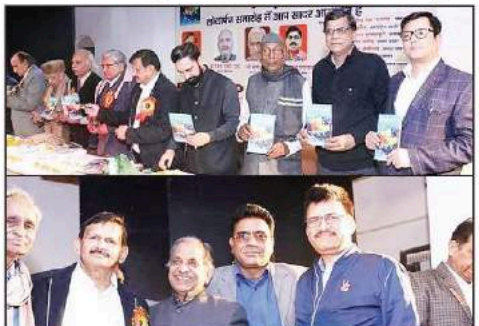

अब 1.6 लाख तक वार्षिक आय वाले भी असंगठित श्रमिक

लखनऊ, उद्योग विहार (जनवरी–2019)। यह भी निर्देश दिया है कि 2.5 एकड़ या इससे कम कृषि भूमि के मालिक किसान या कृषक मजदूर को भी असंगठित कर्मकार माना जाए। वह सचिवालय के तिलक हॉल मे उप्र असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 4.5 करोड़ असंगठित कर्मकारो का पंजीयन जनवरी से शुरू किया जाएगा और हर महीने 10 फीसद यानी 45 लाख मजदूर श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत किए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि असंगठित कर्मकारो का पंजीयन ऑनलाइन पोर्टल पर स्वप्रमाणन के आधार पर किया जाए। इसके लिए मजदूर से 50 रुपये लेकर उसका पंजीयन पांच वर्ष के लिए किया जाए। श्रम मंत्री ने कहा कि जनवरी से इन श्रमिकों को लाभान्वित करने के कार्यों की शुरूआत की जाएगी।

हरिद्वार से आगे गंगा में प्रदूषण बरकरार

नई दिल्ली, उद्योग विहार (जनवरी–2019)। इस रिपोर्ट मे कहा गया है कि उत्तराखंड मे हरिद्वार बैराज पर गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में मामूली सुधार आया हैं। लेकिन, इसके आगे जगजीतपुर एसटीपी के पास गंगा नदी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गई है, जबकि चार साल पहले यह यहां का जल स्वच्छ था। इसी तरह उत्तर प्रदेश मे भी 2014–18 के दौरान गंगा नदी में प्रदूषण की स्थिति बरकरार रही है। खासकर कन्नौज मे गंगा नदी मे रामगंगा और गारा नदी से मिलने पर प्रदूषण का स्तर और बढ जाता है। उत्तर प्रदेश मे अधिकतर स्थानो पर गंगा नदी वर्ष 2017–18 में मानसून से पूर्व और मानसून के बाद प्रदूषित स्थिति में ही पाई गई है। बिहार मे भी पटना के गांधी घाट पर गंगा में बहुत ज्यादा प्रदूषण पाया गया है।

एक घर में दो बोरवेल के लिए एनओसी लेना होगा जरूरी

नई दिल्ली, उद्योग विहार (जनवरी–2019)। वहीं, पेय उत्पाद बनाने वाली औद्योगिक इकाइयो और निर्माण परियोजनाओ को भूजल दोहन के लिए एनओसी के साथ कई शर्तों और नियमो का पालन करना होगा। नई एनओसी के लिए 10 हजार रुपये शुल्क देना होगा। खेती–किसानो के लिए भूजल दोहन को एनओसी के दायरे से बाहर रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, उद्योग, खनिज परियोजनाओ के लिए भूजल दोहन के लिए एनओसी हासिल करना होगा। नियम अगले वर्ष 1 जून से प्रभावी होंगे।

नियोक्ता की जिम्मेवारी है की वह जिस भी कर्मचारी का पीएफ जमाकर रहा है तो उस कर्मचारी की 'केवाईसी' अपडेट करवाये।

एन.के.सिंह क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रथम)

पीएफ के विषय में आवश्यक जानकारी

पीएफ एक सोशल सिक्यूरिटी स्कीम है जिसके तहत कर्मचारियों को उनके भविष्य एवं उनके परिवार के प्रति सुरक्षा मुहैया करवाई जाती है। प्राइवेट सेक्टर और कंपनियों के कर्मचारियों के लिए ईपीएफ (ईपीएफ) सबसे प्रमुख रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है। इस स्कीम में आप जितना जमा करते हैं आपकी कंपनी भी उतना ही जमा करती है। इसके अलावा अच्छी ब्याज दर, टैक्स छूट, आकस्मिक मदद जैसी तमाम खूबियां इसे खास बनाती है।

हर कर्मचारी के लिए अनिवार्य

ईपीएफ एक अनिवार्य बचत स्कीम है। आप इसे किसी भी तरीके से टाल नही सकते। गवर्मेन्ट ने इस संबंध में नियम भी बनाया है, ताकि हर प्राइवेट कंपनी या संस्थान के कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से इस स्कीम का हिस्सा बनाया जा सके। हालांकि, अगर आप बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर 15000 रुपए से ज्यादा सैलरी पाते हैं तो इससे बाहर रहने का विकल्प (ओपीटी आउट) अपना सकते हैं। लेकिन एक बार आप इस स्कीम से जुड़ जाते हैं तो आगे हमेशा इससे जुड़े रहना होगा।

नियोक्ता के लिए भी अनिवार्य

ईपीएफ एकाउंट मे पैसा जमा करना सिर्फ आपके लिए ही अनिवार्य नही है। आपके नियोक्ता (एमप्लोयर) के लिए भी अनिवार्य है। नियमानुसार, कंपनी को भी आपकी ओर से जमा पैसे के बराबर खुद भी पैसा मिलाकर जमा करना होता है। यही कारण है कि कंपनी आपकी सीटीसी सैलरी में अपने कांट्रिब्यूशन को भी दर्शाती है।

ईपीएफओ के पास निगरानी और प्रबंधन का जिम्मा

ईपीएफ के रूप में कर्मचारियों की इस बचत के मैनेजमेंट और देखभाल का जिम्मा भारत सरकार के संगठन 'कर्मचारी भविष्य निधि संगठन' (The employee Provident Fund Organisation-EPFO) का है। देशभर मे सभी क्षेत्रों मे इसके ऑफिस है, जो अपने अधिकार क्षेत्र मे आने वाली कंपनियों और संस्थानों के ईपीएफ की व्यवस्था देखते हैं। हालांकि, कर्मचारी को ईपीएफओ की इस स्कीम से जोड़ने का जिम्मा उसके एम्पलोयर या कंपनी का होता है।

पेंशन योजना भी साथ में जुड़ी

ईपीएफ स्कीम के साथ आपकी पेंशन स्कीम भी जुड़ी होती है। जो पैसा आपका ईपीएफ स्कीम मे कटता है, उससे कुछ पैसा कटकर आपके पेंशन अकाउंट में जमा होता जाता है। इसी से आपको रिटायरमेन्ट के बाद पेंशन मिलती है। अगर सर्विस के दौरान किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को यह पेंशन मिलती है। सरकार ने 10 साल तक सर्विस के बाद कम से कम 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन तय कर रखी है।

परिचयः एन के सिंह क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रथम)

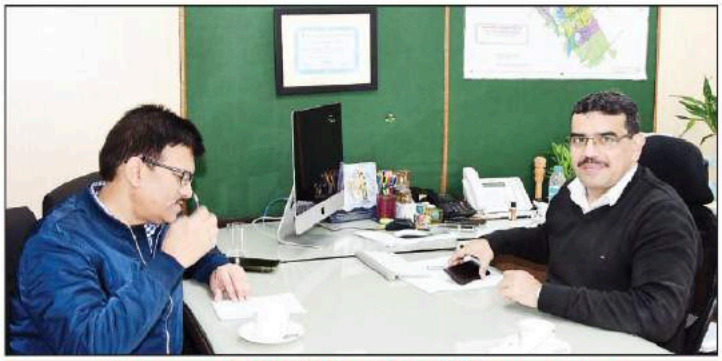

नोएडा के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रथम) एन के सिंह बागपत के रहने वाले एक कुशल प्रशासनिक क्षमता वाले अधिकारी हैं। जिन्होंने दिल्ली से ही अपनी पढाई लिखाई पूरी की है। इनकी प्रथम नियुक्ति पी एफ विभाग में सहायक भविष्य निधि आयुक्त के रूप में बैंगलोर में हुई थी। इसके बाद इन्होंने दिल्ली मुख्यालय, गुरुग्राम, द्वारका दिल्ली, के साथ साथ दिल्ली नार्थ जोन में विजिलेंस में भी कार्य किया है। जबसे इन्होंने वर्ष 2017 में नोएडा का कार्यभार संभाला है तब से ही नोएडा ऑफिस की कार्यशैली में आमूलचूल परिवर्तन किया है जिसका नतीजा यह हुआ कि वर्ष 2017 में नोएडा ऑफिस को पूरे भारत वर्ष में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था तथा वर्ष 2018 में इन्होंने इस स्थान से एक पायदान और ऊपर चढ़कर प्रथम स्थान दिलाया, इस वर्ष स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली में श्रम मंत्री संतोष गंगवार के हाथों इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इससे ही इनकी प्रशासनिक क्षमता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। उनसे उद्योग विहार के मुख्य संपादक सत्येन्द्र सिंह की बातचीत के प्रमुख अंश आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं।

आपको देश में प्रथम स्थान मिला है। आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं?

इस अवार्ड का सारा श्रेय हमारे स्टाफ, हमारे अधिकारीयो के साथ नोएडा के नियोक्ताओं एवं लॉ ऑफ लेबर एडवाइजर्स एसोसिएशन उ प्र को जाता है जिनका हमे पूरा सहयोग मिला है तथा इस अवार्ड के मिलने से हमारी जिम्मेवारी और बढ़ गयी है। तथा अब हम इस दिशा मे प्रयासरत है की कर्मचारियो एवं नियोक्ताओं को हमारे पास आने की जरूरत ही न पड़े तथा उनके सारे काम ऑनलाइन ही हो जाएँ।

नोएडा के पी एफ ऑफिस में कितने कर्मचारियों के खाते की देखभाल की जाती हैं?

नोएडा का पी एफ ऑफिस 14306 कारखानो एवं प्रतिष्ठानो के 3653669 कर्मचारियो के खातों की देखभाल करता है। इसमें से 220801 कर्मचारियो के खाते ऐसे है जो नॉन ऑपरेटिव है।

शिकायतों के निबटारे में आपका क्या योगदान रहता हैं? शिकायतों को आप कितनी प्राथमिकता देते हैं?

शिकायतों को हम प्राथमिकता के आधार पर निबटाते है। क्योंकि यदि हम इसमे सफल हो गए तो समझिये हम हर क्षेत्र मे सफल होंगे। हमारे ऑफिस मे 75 प्रतिशत शिकायतो का निबटारा मात्र 3 दिन में ही हो जा रहा है। जिसके लिए हमने विशेष सैल का गठन किया है जो शिकायतों के निबटारे के लिए विशेष रूप से कार्य करती है। नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों की सुविधा के लिए पीएफ विभाग हमेशा तत्पर है।

"के.वाई.सी." अपडेट नहीं होने पर आपका विभाग कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में नोटिस भेज रहा है, जबकि बहुत से कर्मचारी अपना आधार, बैंक अकॉउंट और पैन नहीं दे रहे है तो इसमें उनकी क्या गलती हैं?

यह एक जरुरी प्रक्रिया है जिसके तहत कर्मचारियों की पहचान विभाग के पास होनी चाहिए ताकि उनका पैसा उन्ही के पास पहुँचे।

बैंक की तरह हम भी लाखों कर्मचारियो के खातो की देखभाल करते है अत इसमें कोई चूक न हो जाये इसलिए सरकार ने यह नियम बनाया है तथा नियोक्ता की जिम्मेवारी है की वह जिस भी कर्मचारी का पीएफ जमा कर रहा है तो उस कर्मचारी की "के.वाई.सी." अपडेट करवाये। तथा यदि किसी कर्मचारी का आधार नही बना है तो उसे बनवाये। आज कल तमाम आधार सेण्टर बने है या फिर बैंकों से भी आधार अपडेट हो रहा है। बैंक अकाउंट भी आसानी से खुल रहे है यदि कम्पनी चाहे तो जहाँ पर कम्पनी का बैंक अकाउंट है कम्पनी उसी बैंक में अपने कर्मचारी का सैलरी अकाउंट खुलवा सकता है। कर्मचारियो की "के.वाई.सी." यदि नही अपडेट होगी, तो इसका नुकसान कम्पनी के साथ साथ कर्मचारियो का भी होगा। हमे नियोक्ताओ का भरपूर सहयोग मिल रहा है।

बहुत से कर्मचारियों का पैन कार्ड नहीं है क्योंकि वे इनकम टैक्स के दायरे में नही आते है। फिर वे कैसे अपना पैन कार्ड के वाई सी के रूप में दे सकते हैं?

यदि कर्मचारी अपना पैन कार्ड नही देंगे तो हम पी एफ निकासी के समय इनकम टैक्स के नियमानुसार उनका पीएफ 34.608 प्रतिशत काट कर देंगे और यदि वे पैन कार्ड दे देंगे तो उनके पी एफ से टी डी एस मात्र 10 प्रतिशत ही कटेगा। (यदि पचास हजार से अधिक दावे का भुगतान होता है और पाँच साल के पहले पी एफ भुगतान होता है तो टी डी एस कटेगा।)

कर्मचारी अपने खाते के बारे में मोबाइल से किस तरह जानकारी प्राप्त कर सकता है?

कर्मचारियों को अपने खाते के बारे मे उमंग एप से सभी जानकारी मिलती है। उमंग एप कर्मचारियो को सीधे पीएफ विभाग से जोड़ता है। सभी नियोक्ताओं को खुद भी उमंग एप से जुड़ना चाहिए तथा अपने कर्मचारियो को भी उमंग एप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि इस एप पर नियोक्ताओं के साथ साथ कर्मचारियो की भी पूरी जानकारी मिल जाती है। इस एप मे अपनी जानकारियों को ऑनलाइन अपडेट करने की भी सुविधा है लेकिन उसके लिए आपका के वाई सी अपडेट होना जरुरी है। यदि नही है तो आप पहले एप से अपनी के वाई सी अपडेट कर दें।

अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियो का पी एफ अंशदान भी क्या जमा करना अनिवार्य है?

हाँ, बिलकुल वे भी कर्मचारी है तथा उनकी भी सोशल सिक्योरिटी की जिम्मेवारी हमारी है। यह उस पर निर्भर करता है की किन देशों से हमारा एग्रीमेंट है तथा यदि कोई उनका पी

- हमारा ऑफिस मात्र 3 दिन में सभी दावा प्रपत्रों का भुगतान कर देता है।
- उमंग एप कर्मचारियों को सीधे पी एफ विभाग से जोड़ता है।
- अब सभी भुगतान दावे ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे।
- PMRPY के तहत कुल 862929628 रुपयों की सब्सिडी कम्पनियों को दी जा चुकी है।
- 75 प्रतिशत शिकायतों का निबटारा मात्र 3 दिन में ही हो जा रहा है।

एफ नही जमा करता है तो यह अपराध है तथा उस कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियो के अंशदान मे लापरवाही बरतने मे विभाग ने कम्पनियो से लगभग 3.5 करोड़ रुपये वसूले है तथा अभी वसूली कार्यवाही जारी है।

कर्मचारियों के पी एफ के भुगतान की क्या समय सीमा हैं? क्या आपका विभाग उक्त समय सीमा में भुगतान दावों का भुगतान कर रहा है?

यदि कर्मचारियो की के वाई सी पूरी है तथा सारे डाक्यूमेंट्स कम्पलीट है तो हमारा ऑफिस मात्र 3 दिन मे सभी दावा प्रपत्रों का भुगतान कर देता है। कर्मचारियों के पी एफ भुगतान में हमारा ऑफिस लगभग 91 प्रतिशत भुगतान अधिकतम 20 से 25 दिन के अन्दर कर रहा है। जिसमे से लगभग 60 प्रतिशत का भुगतान तो तीन दिन मे ही हो रहा है। जिनका भुगतान नहीं हो पा रहा है वो केवल कुछ डाक्यूमेंट्स की कमी की वजह से ही रुका हुआ है। अब सभी दावे ऑनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे।

प्रधानमन्त्री रोजगार प्रोत्साहन योजना क्या है तथा इसके तहत कितनी कम्पनियों के कितने कर्मचारियों का इसका लाभ मिल चुका है? कुल कितनी सब्सिडी अभी तक मिल चुकी है?

प्रधानमन्त्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 1 अप्रैल 2016 से नए कर्मचारियों के नियोक्ता के अंशदान का 8.33 प्रतिशत सरकार द्वारा दिया जा रहा था जो कि 1 अप्रैल 2018 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। ऐसा नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और पी एफ का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे।

प्रधानमन्त्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत नोएडा मे 1 अप्रैल 2016 से 31 दिसम्बर 2018 तक 3156 प्रतिष्ठानों एवं कारखानों के 325008 कर्मचारियों को रजिस्टर किया जा चुका है जिसमे से 2560 प्रतिष्ठानों एवं कारखानों के 287018 कर्मचारियों का लाभ कम्पनियाँ उठा चुकी है जिसके तहत कुल 862929628 रुपयो की सब्सिडी कम्पनियों को दी जा चुकी है। और कर्मचारियों के हिसाब से नोएडा का स्थान पूरे देश में आठवें स्थान पर है।

मै. लीगल इन्फोशोल्यूशन्स प्रा0लि0, मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक **"सत्येन्द्र सिंह"** द्वारा मै. बी.एफ.एल. इन्फोटैक लि. प्रेस, सी–9, सैक्टर–3, नोएडा से छपवाकर बी.ई.–243, (ग्राउण्ड फ्लोर) अवन्तिका, गाजियाबाद से प्रकाशित किया।
फोन : 0120–4122901 / 4106794 **मोबाइल नं** : 9818036460 / 9818697406 **E-mail** : udyogviharnp@yahoo.com **संस्थापक** : शीतला प्रसाद सिंह **प्रधान सम्पादक** : सत्येन्द्र सिंह **सम्पादक** : बबिता सिंह **सह सम्पादक** : राजेश सिंह